न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—82 / 2013 (2013 / 00116) वाद पत्र

1. संजय कुमार पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जयन्तिलाल पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. चन्दनमल उर्फ चान्दमल पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. परेशकुमार पिता हंसमुख पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जिगरकुमार पिता हंसमुख पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मनीषकुमार पिता हंसमुख पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जया बेन बेवा हंसमुख पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भैरूलाल पिता मांगीलाल सुथार निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 14.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है। शेषमल जी के चार पुत्र हुए एवं पत्नि बदाम बाई थी जिसकी मृत्यु हो जाने से चारों पुत्र उत्तराधिकारी बने जिसमें से हंसमुख लाल की मृत्यु हो चुकी हैं और प्रतिवादी संख्या दो लगायत पांच उसके उत्तराधिकारी हैं। यह संयुक्त परिवार हिन्दु विधि से शासित होता हैं। इस हिन्दु संयुक्त परिवार की पुश्तैनी आराजियात ग्राम आसुणा तहसील रायपुर के बैरून हलका आबादी में खाता संख्या 134 में दर्ज होकर आराजी संख्या 379 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आहता चाह संख्या 380 रकबा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 381 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा आराजी संख्या 382 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 383 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित होकर शेषमल मुतबन्ना दीपचंद महाजन साकिन मोखुन्दा के नाम दर्ज थी। प्रमाण में जमाबन्दी सम्वत् 2030—33 प्रस्तुत की हैं। शेषमल जी मृत्यु चुकी हैं। उनके वारिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक लगायत पाच हैं। शेषमल जी की मृत्यु के पश्चात विरासत से जो खाता खुला वह गलती से चांदमल एवं हंसमुख दोनो भाईयों के नाम पर ही फैसल हो गया। यह इंतकाल संख्या 287 दिनांक 06.06.77 खुला वह विधि विरूद्ध खोला गया जबकि शेषमल जी के चारो पुत्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या दो लगायत पांच के पूर्वज हंसमुख लाल के नाम पर फैसल होना चाहिए था। उक्त वर्णित पुश्तैनी [illegible] पर कब्जा बदस्तुर संयुक्त परिवार का चलता आ रहा हैं। वादीगण और प्रति[illegible] बाहर व्यवसाय हेतु निवास करते हैं, जिससे भूमि को सिजारे या [illegible] लाभ ले[illegible] हैं। राजस्व रेकार्ड में केवल चांदमल व हंसमुख [illegible] जबकि शेषमल के [illegible]त्रों का नाम दर्ज होना विधि सम्मत था। वादीगण दोनो शेषमल के पुत्र हैं और इसलिये प्रत्येक पुत्र का उक्त वर्णित भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1/4—1/4 हिस्सा अपने नाम पर घोषित करवाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:23:42 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी हैं। ग्राम आसुणा का नवीन भूप्रबन्ध हो चुका हैं। साबिक आराजी संख्या 380 के नवीन नम्बर 64 रकबा 0.06 हैक्टयर एवं साबिक आराजी संख्या 379, 381, 382, 383 के नवीन नम्बर 65 रकबा 1.99 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.05 हैक्टयर कायम हुए हैं। प्रमाण में नवीन जमाबन्दी एवं खसरा मिलान प्रस्तुत हैं। राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या एक व हंसमुख का ही नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या एक ने उक्त वर्णित भूमि के एक बटा दो हिस्से का बिकाव जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बिल एवज 500000 अक्षरे पाच लाख रूपये में दिनांक 14 जून 2013 को प्रतिवादी संख्या छह के पक्ष में निष्पादित कर दिया। वादग्रस्त भूमियों में चांदमल उर्फ चंदनमल का 1/4 एक बटा चार हिस्सा ही हैं लेकिन उसने अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया जो हम वादीगण के मुकाबले प्रभाव शुन्य हैं और वादीगण उसे प्रभावहीन व शुन्य घोषित कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या एक ने यह विकय गैर कानूनी तरीके से अपने हिस्से से अधिक भूमि का कर दिया और अनुचित लाभ उठाया हैं। प्रतिवादी संख्या छह भी इस बात को जानता था कि ये भूमियां पुश्तैनी होकर चारो भाईयों के शामिलाती हैं लेकिन उसने भी राजस्व रेकार्ड का गलत फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या एक से हिस्से से अधिक भूमि का कय कर लिया। वह दस्तावेज हम वादीगण के हिस्से तक प्रारंभ से ही शुन्य हैं। इसलिये उसे निष्प्रभावी व शुन्य घोषित कराने के भी वादीगण अधिकारी हैं। राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम नहीं होने व प्रतिवादी संख्या एक द्वारा भूमि का अवैध बिकाव प्रतिवादी संख्या छह के पक्ष में कर देने से प्रतिवादी संख्या छह वादीगण को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल कर सकता हैं तथा अन्य प्रतिवादीगण के नाम पर भी गलत रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज होने के कारण वे भी प्रतिवादी संख्या एक की तरह अपने नाम अंकित अधिक हिस्से की भूमि को गैर कानूनी तरीके से अन्य को हस्तांतरित कर सकते हैं। इसलिये स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य हैं। भूमियां संयुक्त खातेदारी की होकर पुश्तैनी है व सयुक्त कब्जे में है एवं भूमियों का विधिवत विभाजन नही हुआ है जिससे आपसी विवाद होने की संभावना बनी रहती है। लगान जमा कराने एवं भूमि विकास करने में बाधाएं आती है इसलिये सयुक्त भूमि का मिट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जाना आवश्यक हो गया है। अतः सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिकी खातेदार अधिकार की इस आशय की जारी फरमाई जावें कि ग्राम आसुणा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 64 व 65 के 1/4–1/4 हिस्से के प्रत्येक वादी खातेदार काश्तकार है। दस्तावेज विकय पत्र दिनांक 14.06.2013 जो प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में निष्पादित किया गया है को वादीगण के मुकाबले उनके हिस्से तक प्रभाव हीन एवं शुन्य घोषित किया जावे तथा दस्तावेज निरस्त कराये जाने की डिकी प्रदान करायी जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण उक्त वर्णित आराजियात से वादीगण को बेदखल नही करे तथा उनके उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नही करें तथा अन्य को भूमि हस्तान्तरित नहीं करें एवं दौराने वाद यदि उन्हे बेदखल कर दिया जावें तो पुनः कब्जा दिलाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को कई बार सम्मन जारी किये गये किन्तु प्रतिवादीगण वादपत्रावली में अंकित पते पर नही रहकर अन्यत्र निवास करने से तामिल नही हुई जिस पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगणों के सम्मन अखबार में साया कराने का आदेश जारी किया गया था। वादीगण द्वारा उक्त कार्यवाही नही कर दिनांक 14.05.2022 को प्रस्तावित आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण हेतु राजीनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:23:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। इसी राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने हेतु वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 6 के बीच हुए राजीनामे में अकंन किया कि राजस्व ग्राम आसुणा पटवार मण्डल खाखरमाला के बैरून हल्के आबादी में हमारे पिता शेषमल पिता दीपचन्द महाजन सा. मोखुन्दा की भूमि स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 379 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 380 रकबा 5 बिस्वा गै.मु. आचा, खसरा नम्बर 382 रकबा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 383 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा है। शेषमल की मृत्यु के पश्चात् उनकी उक्त वर्णित भूमियां जरिये विरासत चन्दनमल उर्फ चान्दमल व हसमुख महाजन के नाम पर हमारी सहमति से दर्ज हुई, क्योंकि उक्त वर्णित भूमियां उन दोनों के ही पारिवारिक विभाजन में रखी गई थी, इसलिये उक्त वर्णित भूमियां हमारे भाई चन्दनमल उर्फ चान्दमल व हसमुख के नाम पर ही दर्ज चली आ रही थी। हम शपथ पूर्वक निवेदन करते हैं कि सेटलमेंट में उक्त वर्णित भूमियों के नवीन खसरा नम्बर 64 रकबा 0.06 हैक्ट गेमु आचा, खसरा नम्बर 65 रकबा 1.99 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 2.05 हैक्ट बनाये गये व भूमि भी हमारी सहमति से चन्दनमल उर्फ चान्दमल व हसमुख महाजन के नाम पर ही चली आ रही थी, तथा उक्त वर्णित भूमियां चन्दनमल उर्फ चान्दमल व हसमुख जो हमारे सगे भाई होकर उन्हीं का कब्जा चला आ रहा था। हमारा व हमारी सगी बहिने शांता व कचन का कोई हक एवं अधिकार नहीं है तथा हमें बिना पुछे हमारे भाई चन्दनमल व हसमुख के वारीसान परेश, मनीष, जीगर व उनकी पत्नि जयाबेन ने उक्त वर्णित भूमियों को प्रतिवादी भैरूलाल पिता मांगीलाल सुथार निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा को दिनांक 14.06.2013 व दिनांक 19.08.2013 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर मौके पर कब्जा प्रतिवादी भैरूलाल को सिपुर्द कर दिया, तब से वो ही मौके पर काबिज हैं. इसलिये हमने प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त वर्णित भूमियों में हिस्सा लेने बाबत न्यायालय आप में उक्त दावा प्रस्तुत किया। परन्तु हम दोनों पक्षों के मध्य आपस में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है. तथा हम वादीगण ने हमारे हिस्से की प्रतिफल की राशि हमारे विक्रेता भाईयों से पहले विक्रय के दौरान प्राप्त नहीं की थी, इसलिये हम वादीगण ने उक्त दावा किया था, किन्तु आज हम दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो गया है, तथा हम वादीगण ने प्रतिवादी भैरूलालजी सुथार से पूर्व के विक्रेतागण व अन्य प्रतिवादीगण की सहमति से हम वादीगण व हमारी बहिनों के हिस्से की प्रतिफल की राशि 12,10,000/– रू. अक्षरे बारह लाख दस हजार रूपये मात्र आज नकद प्राप्त कर ली है, तथा मौके पर कब्जा भूमियों पर वक्त क्रय से आप प्रतिवादी भैरूलाल सुथार का ही चला आ रहा है। हमारे भाई चन्दनमल उर्फ चान्दमल व हमारे भतीजे परेश, मनीष जीगर पिता हसमुख महाजन व जयाबेन पत्नि हसमुख महाजन द्वारा प्रतिवादी भैरूलाल सुथार के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित कराये गये हैं, उक्त सभी विक्रय पत्र की रजिस्ट्रीया बिल्कुल सही हैं व वैद्य है। उक्त वर्णित भूमियों में हम वादीगण व हमारे वारीसों व हमारी बहिनों व उनके वारीसों का कोई हक [illegible] तथा हम या हमारे वारीसान एवं हमारी बहिने व उनके वारीसान कभी भी उक्त वर्णित [illegible] संबंध में कोई हक, उजर एतराज नहीं उठायेंगे व कोई कानूनी कार्यवाही या [illegible] में नहीं [illegible], तथा उक्त वर्णित भूमियो के संबंध में जो उक्त दावा कर रखा है, जिसको हम वादीगण लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर विड्रो करना चाहते हैं, और आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं, इसलिये यह राजीनामा हम वादीगण पेश कर रहे हैं। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित प्रकरण की पत्रावली आज ही सिगह से तलब फरमा हम वादीगण को उक्त प्रकरण को विड्रो करने की अनुमति प्रदान कराई जाकर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:23:42 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा अनुसार खारिज फरमाया जाकर निस्तारित फरमाया जावें। व उक्तानुसार ही डिक्री मुर्तिब कराना फरमायें।

प्रकरण में आपसी राजीनामा प्रस्तुत होने पर दोनो पक्षो को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया जिसे सुन समझ कर राजीनामें में वर्णित समस्त तथ्यो एवं शर्तो को स्वीकार करते हुए वादीगण द्वारा मौखिक भी निवेदन किया कि हमारे व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य पारिवारीक अन्य बातो के लेकर आपसी मनमुटाव हो गया है जिससे वादीगण के द्वारा यह वाद प्रस्तुत करना स्वीकार किया और इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा भी यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य पारिवारीक मनमुटाव से अगर वादीगण को किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो तो उसकी भरपाई मेरे द्वारा कर दी गई है। अब दोनो पक्षो के मध्य इस वादवर्णित भूमि को लेकर कोई विवाद नही है। वादवर्णित भूमि पारिवारीक सेटलमेन्ट से प्रतिवादी 1 व 2 से 5 के पिता व पति के हिस्से में ही आना वादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही यह भी स्वीकार किया कि वादवर्णित भूमि पर कभी वादीगणो का कब्जा नही रहा उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के कब्जे व हिस्से की थी किन्तु कुछ मतभेद होने से वाद प्रस्तुत किया है। अब हमारे परिवार में एवं प्रतिवादी संख्या 6 के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 से 5 के पिता व पति के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 को विक्रय की गई उसको लेकर अब कोई विवाद नही है तथा भविष्य में भी वादीगण या वादीगण के वारीसान की ओर से कोई उजर, ऐतराज नही किया जायेगा फिर भी अगर ऐजराज करेंगे तो इस राजीनामा के आधार पर वादीगण व वादीगण के वारीसान राज अदालत में झुठे साबित होंगे। इस प्रकरण में वादीगण अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा राजीनामे के अलावा भी जो कथन किया वो उपर वर्णित किया गया है। राजीनामा इस निर्णय का भाग है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर मै इ निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादवर्णित भूमि जो प्रतिवादी 1 एवं 2 से 5 के पिता व पति के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 को विक्रय की गई है उस भूमि को लेकर वादीगण की ओर से कोई ऐतराज नही कर विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2013 एवं 19.08.2013 में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। मौके पर कब्जा विक्रय पत्र के आधार पर केता का है। वादीगण इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को खारीज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 के मध्य हुए आपसी राजीनामा के अनुसार वादवर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से 5 के पिता व पति के पारिवारीक विभाजन से हिस्से में आने से उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 को विक्रय की गई जिसमें वादीगण का कोई हिस्सा नही होना राजीनामे में बताते हुए वाद में आगे कोई कार्यवाही न [illegible] कर वाद को खारीज करने का निवदेन करने से जिसके आधार पर वाद खारीज [illegible] डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर [illegible] जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:23:42 IST
Reason: SelfAttested

14/05/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–82/2013 (2013/00116) वाद पत्र

1. संजय कुमार पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जयन्तिलाल पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. चन्दनमल उर्फ चान्दमल पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. परेशकुमार पिता हंसमुख पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जिगरकुमार पिता हंसमुख पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मनीषकुमार पिता हंसमुख पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जया बेन बेवा हंसमुख पिता शेषमल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भैरूलाल पिता मांगीलाल सुथार निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 के मध्य हुए आपसी राजीनामा के अनुसार वादवर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से 5 के पिता व पति के पारिवारीक विभाजन से हिस्से में आने से उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 को विक्रय की गई जिसमें वादीगण का कोई हिस्सा नही होना राजीनामे में बताते हुए वाद में आगे कोई कार्यवाही नही चाह कर वाद को खारीज करने का निवदेन करने से जिसके आधार पर वाद खारीज किया जाता है।

यह आज तारीख 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

14/5/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:23:42 IST
Reason: SelfAttested